संख्या–2341/XIX-1/15–172/2009–टी0सी0

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 17 दिसम्बर, 2015

विषयः– राज्य खाद्य योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित राज्य खाद्य योजना के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

1– राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत राशन कार्डों के डिजिटाईजेशन का कार्य प्रत्येक दशा में मार्च 2016 तक पूर्ण कर लिया जाय।

2– डिजिटाईजेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उच्च स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय कि उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर खाद्यान्न आवंटित किया जाय अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की भांति प्रति यूनिट के आधार पर।

3– वर्तमान में प्रचलित राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत डिजिटाईजेशन में केवल पुराने राशन कार्डों को नवीनीकृत किया जाय, जिसमें समस्त यूनिट को डिजिटाईज्ड किया जाय तथा नवीनीकरण करते समय यूनिट को विभाजित न किया जाय तथा नवीनीकरण समुचित सत्यापन के पश्चात् किया जाय।

4– देहरादून तथा हल्द्वानी में शहरी क्षेत्र के किसी वार्ड/मौहल्ले में पायलेट आधार पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की दशा में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5– प्रत्येक उपभोक्ता की आई0डी0 प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर ली जाय, जिसमें आधार कार्ड/वोटर कार्ड हों।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।